

सं.ई. 11016/03/2016-हिन्दी/2216-2270

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

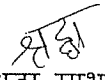
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 28.12.2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.09.2016 को आयोजित 66वीं बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में।

दिनांक 29.09.2016 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 66वीं बैठक में उपस्थित मंत्रालय के सभी संगठनों के राजभाषा अधिकारियों/प्रतिनिधियों ने खेद व्यक्त किया कि मंत्रालय से उनके कार्यालय को अधिकांशतया पत्र अंग्रेजी में ही प्राप्त होते हैं, फलस्वरूप उन पत्रों का उत्तर भी उनके द्वारा अंग्रेजी में ही दिया जाता है। जबकि 'वार्षिक कार्यक्रम 2016-17 के लक्ष्यों के अनुसार 'क' और 'ख' क्षेत्र में कार्यालयों को शत-प्रतिशत पत्र हिन्दी में भेजे जाने चाहिए और 'ग' क्षेत्र में स्थिति कार्यालयों को 65% पत्र में हिन्दी भेजे जाने चाहिए।'

अतः अनुरोध है कि मंत्रालय के सभी अनुभाग/अधिकारी मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ सभी कार्यालयों को उपर्युक्त लक्ष्यानुसार पत्र भेजना सुनिश्चित करें।


(श्रद्धा माथुर)

सहायक निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

मंत्रालय के सभी अनुभाग/अधिकारी